रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1983/श्रावण 1, 1905
No. 277] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1983/SRAVANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1983

सं० 211/83-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 579(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पूंजी माल, संघटक पुर्जों, कच्ची सामग्री और खपने वाली सामग्री को, जब उनका भारत सरकार के पोत परिवहन महानिदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत पोत-मरम्मत एकक द्वारा समुद्रगामी जलयान की मरम्मत के लिए भारत मे आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देत है, अर्थात् :—

(1) आयातकर्ता पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भारत में आयात किए गए पूंजी माल, संघटक पुर्जों, कच्ची सामग्री और खपने वाली सामग्री के आयात, उपयोग और उपभोग का समुचित लेखा रखेगी और ऐसे लेखे सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति मे कालिकतः प्रस्तुत करेगा जो उक्त कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

(2) आयातकर्ता, सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप मे और राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह ऐसे पूंजी माल, संघटक पुर्जों, कच्ची सामग्री और खपने वाली सामग्री की बाबत जिनके बारे मे सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नही होता कि उनका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग या उपभोग किया गया है, आयात

करने की तारीख से तीन मास के भीतर या उतनी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जितनी सीमाशुल्क कलक्टर इस बात का समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उनका उपयोग या उपभोग न करने के पर्याप्त कारण हैं, अनुज्ञात करे, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इसमें अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "समुद्रगामी जलयान" के निम्नलिखित है :—

(क) लाइनर; विभिन्न प्रकार के स्थोरा जलयान जिनके अन्तर्गत मांस, फल आदि के परिवहन के लिए प्रशीतक जलयान है; विशिष्ट माल (अनाज, कोयला, अयस्क, आदि) के परिवहन के लिए विनिर्दिष्ट जलयान; टैंकर (पेट्रोल, शराब आदि); नौकाएं और अन्य चलत जलयान; केबल पोत; बर्फ मंजक; (ह्वेल के प्रसंस्करण, मछलियों के परिरक्षण के लिए) सभी प्रकार के प्लवमान कारखाने; ह्वेल पकड़ने वाले यंत्र; ट्रालर और अन्य मत्स्यन जलयान, लाइफ बोट; वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान; मौसम पोत; बोया के परिवहन और मूरिंग के लिए जलयान; पाइलटबोट; निकर्षित सामग्री के निपटान के लिए हापर बार्ज आदि ।

(ख) सभी प्रकार के युद्धपोत जिनके अंतर्गत पनडुब्बी हैं;

(ग) ट्रग, निकर्षित्र, फायर-फ्लोट और उद्धारण पोत ।

[फा० सं० 355/204/81-सी०शु० 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd July, 1983

NO. 211/83-CUSTOMS

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts capital goods, components, raw materials and consumables, when imported into India for repairs of Ocean-going vessels by a ship-repair unit registered with the Director General of Shipping, Government of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(1) the importer shall maintain a proper account of import, use and consumption of the capital goods, components, raw materials and consumables imported into India for the aforesaid purpose, and shall submit such account periodically to the Collector of Customs in such form and in such manner as may be specified by the said Collector ;

(2) the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such capital goods, components, raw materials or consumables, as are not proved to the satisfaction of the Collector of Customs to have been used or consumed for the aforesaid purpose within a period of three months from the date of importation thereof or within such extended period as the Collector of Customs, on being satisfied that there is sufficient cause for not using or consuming them for the aforesaid purpose within the said period, may allow, an amount equal to the duty leviable thereon but for the exemption contained herein.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression "ocean-going vessels" includes—

(a) liners ; cargo-vessels for various kinds including refrigerator vessels for the transport of meat, fruit etc., vessels specified for the transport of particular goods (grain, coal, ores, etc.); tankers (petrol, wine, etc.); yachts and other sailing vessels ; cable ships ; ice-breakers ; floating factories of all kinds (for processing whales, preserving fish, etc.) ; whale catchers ; trawlers and other fishing vessels ; lifeboats ; scientific research vessels ; weather ships ; vessels for the transportation and mooring of buoys ; pilot-boats ; hopper-barges for the disposal of dredged material, etc. ;

(b) warships of all kinds including submarines ;

(c) tugs, dredgers, fire-floats and salvage ships.

[F. No. 355/204/81-Cus. I]

सं० 212/83-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 580(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं० 126/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 220 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"221 सं० 211/83-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई 1983।"

[सं० 355/204/81-सीमाशुल्क I]

NO. 212|83-CUSTOMS

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126|83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 220 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

"221. No. 211|83-Customs dated the 23rd July, 1983."

[F. No. 355|204|81-Customs I]

सं० 213/83 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 581(अ).—भारत सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 233-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में एसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 47 के अन्तर्गत आने वाले घासपात की लुगदी को, जब उसका भारत में अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए आयात किया जाए,—

(1) उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से; और

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करके स्वंय को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह घासपात की लुगदी की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि उसका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इसमें अन्तर्विष्ट छूट के न किए जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो ।

2. यह अधिसूचना 31 मई, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी ।

[फा० सं० 355/114/82-सीशु I]

NO. 213|83-CUSTOMS

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Banking, No. 233-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts wood pulp, falling within Chapter 47 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of newsprint, from,—

(i) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule; and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act :

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such quantity of wood pulp as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of May, 1984.

[F. No. 355|114|82-Cus. I]

सं० 214/83-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में एसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं० 126/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 221 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"222 सं० 213/83-सीमा शुल्क तारीख 23 जुलाई, 1983।"

[सं० 355/114/82-सीमाशुल्क-I]

NO. 214|83-CUSTOMS

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126|83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the schedule to the said notification, after Serial No. 221 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inscred, namely :—

"222. No. 213|83-Customs, dated the 23rd July, 1983."

[F. No. 355|114|82-Cus. I]

सं० 215/83/सीमाशुल्क

सा० का० नि० 583(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अंकसूचक, अनुरूप, डिजिआना और वैसी ही संयुक्त प्रकार की इलैक्ट्रोनिक हाथ की घड़ियों के इलैक्ट्रोनिक माड्यूलों के संघटक पुर्जों को (जिसके अन्तर्गत आंशिक रूप से अवाघात पैक और पूर्ण रूप से अवघात पैक हैं) जब उनका इलैक्ट्रोनिक माड्यूलों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना प्रथम अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार अवधारित ऐसे संघटक पुर्जों के मूल्य के 50 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त संघटक पुर्जे, भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार इलक्ट्रोनिक माड्यूलों के विनिर्माण के लिए आयात किया गया है और उनका ऐसे विनिर्माण के लिए वास्तव में उपयोग किया गया है ।

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "हाथ की घड़ियां" से ऐसी घड़ियां अभिप्रेत हैं जो मूलरूप से दिन का समय बताने के लिए डिजाइन की गई हैं चाहे उनमें अतिरिक्त विशेषताएं हों या नहीं ।

[फा० सं० 355/145/82-सीमा०-I]

NO. 215|83-CUSTOMS

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the component parts (including semi-knocked down packs and completely knocked down packs) of electronic modules of digital, analogue, digi-ana and similar combination type electronic wrist watches, when imported into India or the manufacture of electronic modules, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of 50 per cent of the value of such component parts as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act:

Provided that the proper officer is satisfied that the said component parts are imported for the manufacture of electronic modules in accordance with a production programme duly approved by the Department of Electronics of the Government of India and are in fact so used for such manufacture.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression "wrist watches" means watches which are designed primarily to show the time of the day, with or without additional features.

[F. No. 355|145|82-Cus. I]

सं० 216/83 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 129/83-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 52 और उससे संबंधित प्रविशिष्ट के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविशिष्ट अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"53 सं० 215/83-सीमा शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1983।"

[सं० 355/145/82-सीमाशुल्क I]

एन० शशिधरन, अवर सचिव

NO. 216|83-CUSTOMS

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 129|83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 52 and the entry relating thereto, the Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

"53. No. 215|83-Customs, dated the 23rd July, 1983".

[F. No. 355|145|82-Cus. I]
N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983